फैक्स / ई–मेल / स्पीड पोस्ट महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: – 1558 / 4– 8एफ / 2014 दिनांक 14 / 03 / 2016

विषय:- राजस्व निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति न हो पाने के सम्बन्ध में लेखपालों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही तथा चयन वर्ष 2015–16 में राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु तैयारी एवं इस सम्बन्ध में सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या–506 / 4–35एफ / 2014 दिनांक 20–01–2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 917 लेखपालों एवं 28 भूमि अध्याप्ति अमीनों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुये तैनाती आदेश निर्गत किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयन वर्ष 2015–16 के लिये लेखपाल / संग्रह अमीन एवं भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु परिषद स्तर पर ज्येष्ठता / पात्रता सूची बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है। गत वर्ष चयन समिति के बैठक के समय लोक सेवा आयोग से प्राप्त निर्देशों के कम में आपसे अनुरोध है कि लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्न विन्दुओं के अनुसार तैयारी करते हुये वांछित सूचनायें ससमय परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1– परिषदादेश दिनांक 21–5–2015 के साथ निर्गत, वर्ष 1985 तक मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची में यदि किसी लेखपाल का नाम सम्मिलित होने से छूट गया हो अथवा मौलिक नियुक्ति की तिथि त्रुटिपूर्ण अंकित हो गई तो सही मौलिक नियुक्ति की तिथि के साथ सूचना, अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च 2016 तक परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ज्येष्ठता सूची में शामिल करते हुये नियमानुसार उनकी पदोन्नति करायी जा सके।

2– प्रत्येक लेखपाल की पृथक से एक चरित्र पंजी बनायी जाय जिसमें वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रविष्टि के साथ ही इसके पहले के 9 वर्षो की वार्षिक प्रविष्टियाँ कम से रखी जाय। सुविधा के लिये एक पृथक पृष्ठ पर भी सभी 10 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों का सारांश अंकित कर दिया जाय। वार्षिक प्रविष्टियों की छायाप्रतियाँ उप जिलाधिकारी या तहसीलदार से प्रमाणित होनी चाहिये। प्रमाणित करने वाले अधिकारी के मुहर पर उसका नाम व पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टि

उपलब्ध न हो तो उस वर्ष के दौरान कर्मचारी की सेवा के संतोषजनक होने और किसी तरह के प्रतिकूल तथ्य न होने का प्रमाणक रखा जाये। यह कार्यवाही दिनांक 01 अप्रैल 2016 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

3. चरित्र पंजी के प्रथम पृष्ठ पर विभागीय कार्यवाही/सतर्कता जांच/अभियोजन आदि लंबित होने अथवा न होने, की सूचना अंकित की जाय। परिनिंदा/प्रतिकूल प्रविष्टि अथवा विभागीय कार्यवाही में पारित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां चरित्र पंजी में अनिवार्य रूप से रखी जाये। यह कार्यवाही दिनांक 01 अप्रैल 2016 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

4– सेवानिवृत्ति आदि के फलस्वरूप दिनांक 30 जून 2016 तक राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रारूप में तैयार कर प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च 2016 तक परिषद को उपलब्ध करा दिया जाये

31 मार्च 2016 तक राजस्व निरीक्षक (क्षेत्र, कार्यालय एवं भूलेख लिपिक तीनों को शामिल करते हुये) के रिक्त पदो की संख्या	30 जून 2016 तक राजस्व निरीक्षक (क्षेत्र, कार्यालय एवं भूलेख लिपिक तीनों को शामिल करते हुये) के रिक्त पदो की संख्या

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये विन्दु संख्या–1 व 4 की सूचना 31 मार्च 2016 तक परिषद को उपलब्ध करायें। प्रकरण महत्वपूर्ण है अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं शीर्ष प्रांथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

10/3/16

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग,–2/10 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संग्रह अमीनों एवं भूमि अध्याप्ति अमीनों की पदोन्नति के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।